

# यायालय अति० जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी सुरेश कुमार आर.ए.एस

मु०नं० 79/2017

तारीख रजू:- 27.9.2017

1 छगन पुत्र मनोहरी जाति मीना निवासी एदलपुर तहसील टोडाभीम जिला करौली :- अपीलान्त

## बनाम

1 उपतहसीलदार उपतहसील बालघाट जिला करौली

-रेस्पोंडेन्ट

अपील विरुद्ध आदेश अदालत उपतहसीलदार बालघाट व मुकदमा उनवानी सरकार  
बनाम छगन मुकदमा नम्बर 88/17 तारीख 30.8.2017

## निर्णय

दिनांक 16.1.2018

वाकेयात इस प्रकार है कि वकील अपीलान्त ने एक अपील उपतहसीलदार बालघाट के निर्णय दिनांक 30.8.2017 से अप्रसन्न होकर पेश कर अवगत कराया गया है कि निर्णय में अंकित भूमि पर अपीलान्त का कोई कब्जा नहीं है। इस भूमि के पास अपीलान्त की खातेदारी की भूमि है कभी भी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया गया है। पटवारी हल्का द्वारा बिना जाँच कराये ही यह रिपोर्ट पेश की है और अधिनस्थ न्यायालय ने बिना जाँच के ही निर्णय पारित किया गया है। अपीलान्त को अतिक्रमी माना गया है किन्तु पत्रावली में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है। अपीलान्त अतिचार की क्षेणी में नहीं आता है अपीलान्त को सुनवाई का अवसर भी नहीं दिया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। अन्त में अपील अपीलान्त पेश कर निवेदन किया है। अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

अपील अपीलान्त दर्ज पंजिका कर रेपोन्डेन्ट को जरिये नोटिस तलव करते हुए अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलव की गई।


वकील अपीलान्त की वहस सुनी गई दोराने बहस अपने कथन अपील मीमो को दोहराते हुये और कहा कि मातहत अदालत द्वारा अपीलान्त को विधिवत नहीं सुना है एक पक्षीय सुनते हुए कार्यवाही की गई है जो विधिसम्मत नहीं है अपील अपीलान्त स्वीकार फरमाई जावे।

हमने वकील अपीलान्त की वहस पर मनन किया एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया गया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय दिनांक 30.8.2017 को आराजी खसरा नम्बर 241 रकवा 0.40 है० चारागाह पर बाजरा काश्त करने पर अपीलान्त/अतिक्रमी को बेदखल करते हुये तीन माह के सिविल कारावास की सजा से दण्ड से दण्डित किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अपीलान्ती को इसी भूमि पर पश्चातवर्ती अतिचार मानकर सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है किन्तु पत्रावली के अवलोकन से विवादित आराजी में गत वर्ष भूमि पर अतिचार करने बाबत कोई भौतिक रूप से बेदखली बाबत दस्तावेज उपलब्ध नहीं मिले हैं।

तो हमारी सुविचारित राय मे सिविल जैसे कठोर कारावास की सजा को बनाये रखने का कोई औचित्य प्रतीत नही होता है। हम वकील अपीलान्ट के कथनो से सहमत है।

अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। नायव तहसीलदार बालघाट तहसील टोडाभीम जिला करौली का निर्णय दिनांक 30.8.2017 के तहत अपीलान्ट छगन पुत्र मनोहरी जाति मीना निवासी ऐदलपुर को दी गई 90 दिवास की सिविल कारावास की सजा को इस शर्त के साथ माफ किया जाता है कि यदि अपीलान्ट एक माह के अन्दर अडरट्रेकिंग पेश कर देता है और अपीलान्ट प्रशनगत आराजी से अपना अतिचार हटा लेता है ओर भविष्य मे किसी प्रकार का अतिचार नही करेगा। इस बात से तहसीलदार सन्तुष्ट हो जाते है तो सिविल कारावाश की सजा माफ रहेगी अन्यथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रहेगा। वेदखली एवं शास्ती से सम्बंधित आदेश यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ अधीनस्थ न्यायालय को वापिस भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 16.1.2019 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

अति०   
जिल्म कलक्टर  
करौली